24-10-24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि डाक करवायेगा। वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 19-12-24 को पेश हो। Au.

19-12-24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. डाक करवाये। मिसल वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 30-01-25 को पेश. हो। Au.

30-01-25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप.। अप्रार्थी नं. 1, 3, 11, 12, 13, 15 की ओर से अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 4, 6 स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के सम्मन की रसीद व डिलीवरी रिपोर्ट पेश की। मिसल वास्ते तलबी व जवाब प्रा.पत्र इन्तजार दिनांक 20-02-2025 को पेश हो। Au.

20-02-25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप.। मिसल वास्ते इन्तजार तलबी व जवाब प्रा.पत्र दिनांक 06-03-25 को पेश हो। Au.

06-03-25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप.। मिसल वास्ते इन्तजार तलबी व जवाब प्रा.पत्र दिनांक 17-04-2025 को पेश हो। Au.

17/04/25 पत्रावली पेश हुई/राजस्थान ... अजमेर/बार संघ/चूक ... पत्रावली दिनांक 25/06/25 को पेश हो।

24-06-25 पंडित दीनदयाल ... दिनांक 24-06-25 पखवाड़ा के पत्रावली आ... को पेशी में की गई। पत्रावली पेश हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुनः पक्षकारान उपस्थित हुए। जिस पर ग्राम सभा के ग्राम के मौजिज व्यक्तियों से सूचना ली गई। ग्राम के व्यक्तियों द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त रास्ता हनुमानपुरा से सम्बन्धित है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के अतिरिक्त समस्त पक्षकार हनुमानपुरा के है जो रतनगढ़ तहसील में आता है तथा इन काश्तकारो के एक अन्य सदामती व कयानी सड़क से लगता है जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि (खसरा सं. 147/53, 44, 135/146, 43/130, 203/48) जो कि शेटी ग्राम हनुमानपुरा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू में स्थित है, तक पहुँचने हेतु रास्ता करवाने की मांग की है। उक्त रास्ता मोजीसर बड़ा से निकलता हुआ कुछ अप्रार्थीगण (ख. सं. 424/48, 108, 107, [illegible]) भूमि से जाता है। प्रार्थीगण [illegible] के निवासी है किन्तु उनकी [illegible] की भूमि ग्राम हनुमानपुरा में स्थित है। प्रार्थीगण ने ग्राम सभा में यह बताया कि पूर्व के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested

में जारी हुए

से एक पगडंडी उक्त भाग के अध्यक्षता में रही है जिससे वे अपने खेत तक जाते हैं। ग्राम सभा, जो दिनांक 24.06.2025 को पंडित दीन दयाल अंत्योदय पखवाड़ा आयोजित शिविर में सम्पन्न हुई ने यह स्पष्ट किया कि:

(1) यह रास्ता ग्राम [illegible] की सीमा में आता है। प्रार्थीगण के लिए एक वैकल्पिक सदामती व कानूनी रास्ता पहले से उपलब्ध है। राजस्व अभिलेखों के अनुरूप खेतों की सीमाओं, उनके बीच रास्ते और विवाद का निस्तारण सक्षम अधिकारी कर सकता है। धारा 251 (ए) के तहत यदि खातेदार को खेत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी कानूनी रास्ता निकाल सकता है बशर्ते अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। [illegible] भाग के लिए रास्ते की मांग नहीं है रास्ता [illegible] है प्रभावित खातेदार को प्रतिफल देने की बात माने

ग्राम सभा की रिपोर्ट (मौखिक गवाही से यह सिद्ध होता है कि रास्ता पहले से चल रहा है शेखी रतनगढ़ तहसील की है। उक्त विवेचन के आधार पर न तो रास्ता धारा 251 (ए) [illegible] होता है तथा नहीं न्यायालय [illegible] अधिकार अतः प्रार्थीगण का [illegible] प्रार्थना पत्र कर खारिज किया जाता है प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय के धारा 131, 132 LRA के तहत प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म | में जारी हुए

कर खारिज की जाती है मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested